



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244409
CG-DL-E-15032023-244409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]
No. 150]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2023

सा.का.नि. 189(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सिक्के का मूल्यवर्ग.- "अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023" के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए केवल पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का टकसाल में ढाला जाएगा।
- सिक्के की विमा और संघटन-नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी 50 - प्रतिशत तांबा 40 - प्रतिशत निकिल 05 - प्रतिशत जस्ता 05 - प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार .- अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची
(नियम 4 देखें)

पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के अग्र भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “75” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 का प्रतीक चिन्ह का चित्र होगा। सिक्के की उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023” लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर मिलेट अनाज की शृंखला का प्रतिकात्मक चित्र उत्कीर्णित होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 के प्रतीक चिन्ह के ठीक नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष “2023” लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्य वर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	35ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/07/2023- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2023

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Denomination of coin.-The coin of Seventy Five Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of “INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023”.

3. Dimension and composition of coin.-The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. Design.-The design of the coin shall be as specified in the First Schedule of these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.-The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023 and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

First Schedule

(See Rule 4)

SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “75” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the image of logo of International year of Millets 2023 in the centre of the coin. The inscription “अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष” in devnagari script shall be written on the upper periphery. The design symbolizing chain of millets is depicted on the lower periphery of the coin. The year “2023” in international numeral shall be written below the image of logo of International year of Millets 2023.

Second Schedule**(See Rule 5)**

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say, the weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/07/2023-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser